

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संचिका संख्या : : 7ब/2700 गै०यो०ज०सं०- 03/15 261

/राँची, दिनांक :- 09-03-16


(शुद्धि - पत्र)

विभागीय आवंटन आदेश संख्या -174, दिनांक- 25.01.2016, 175, दिनांक-27.01.2016, 177, दिनांक-01.02.2016, 178, दिनांक-01.02.2016 द्वारा निर्गत आवंटनादेशों में 15.11.2000 से पूर्व के बकाये भुगतान हेतु विभागीय अनुमति संबंधी कंडिका-5 को विलोपित किया जाता है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की देयता के संबंध में सन्तुष्ट होने के पश्चात् राशि का भुगतान कर सकेंगे।

2. उक्त आवंटनादेशों की अन्य शर्तें एवं कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

3. उक्त आवंटनादेशो को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।

अनु. - यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-


261

राँची, दिनांक :-

09-03-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/दुमका/गुमला/चक्रधरपुर/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/गढ़वा/पलामू/तामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसाँवा/चाईबासा/घाटशिला/जसीडीह/सिकटिया/कोडरमा/गिरिडीह/चतरा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/हुसैनाबाद/सिमडेगा/लोहरदगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. - यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

261


राँची, दिनांक :-


09-03-16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव